राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर वृत बीकानेर
सी–64सादूल गंज, बीकानेर
दूरभाषः–0151–2226611 & Email – sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकःअखअ/बीका/विज्ञप्ति/2022/791 दिनांक– 9.6.2022

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि इस वृत्त के अधीन आने वाले जिला बीकानेर, जैसलमेर एवं चुरू में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 52(3) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किसानों को स्वयं की खातेदारी भूमि में सुधार हेतु जिप्सम की परत हटाने के लिए परमिट जारी करने हेतु विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16.06.2022 से 15.08.2022 तक की अवधि में आमंत्रित किये जाते हैं। जो भी खातेदार इन जिलों में अवस्थित खातेदारी भूमि के सुधार के लिए जिप्सम की परत हटाने हेतु परमिट लेने के इच्छुक हों, उक्त अवधि में आनॅलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, शर्ते निम्नानुसार हैं–

1. परमिट केवल भूमि सुधार के उद्देश्य हेतु ही दिये जायेंगे।
2. आवेदन प्रस्तुत करने के लिए केवल वही खातेदार पात्र होंगे, जिनकी खातेदारी भूमि में जिप्सम की परत सतह से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अनुसार अधिकतम 02 मीटर की गहराई तक है एवं समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार मान्य होगा।
3. परमिट हेतु खातेदार द्वारा स्वयं आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। संयुक्त खातेदारी भूमि के मामले में सह–खातेदारों द्वारा अथवा किसी एक खातेदार के पक्ष में पॉवर ऑफ अटॉर्नी/सहमति दिये जाने पर अटॉर्नी होल्डर आवेदन कर सकेगा।
4. आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किये जायेंगे। जिन किसानों के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, वह ई–मित्र कियोस्क पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन करते समय किसान को पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड/जन आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल(k नम्बर) के साथ–साथ अपना मोबाइल भी साथ लाना होगा। किसानों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय अपनी भूमि का खसरा संख्या/मुरब्बा संख्या का सही विवरण प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, परन्तु ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ई–मित्र को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।
6. एक राजस्व ग्राम की सीमा में एक खातेदार को एक समयावधि में केवल एक परमिट ही स्वीकृत किया जायेगा।
7. परमिट अधिकतम 5 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए दिये जायेंगे, जिसकी अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी।
8. परमिट हेतु आवेदित क्षेत्र का मौके पर चिन्हिकरण हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 52(3)IV अनुसार आवेदक की उपस्थिति में कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।
9. परमिट जारी किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रतिभूमि के रूप में रू. 40,000/– एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में प्रस्तुत करने, परमिट फीस पेटे रू. 1,000/– जमा कराने, जिप्सम की परत हटाने की सिम्पलिफाइड स्कीम हेतु विभाग द्वारा लिखा जायेगा एवं पूर्ति कर देने पर परमिट जारी किया जायेगा।
10. जिप्सम के निर्गमन हेतु विभाग में निम्नानुसार राशि अग्रिम जमा कराकर रवन्ना प्राप्त करने होगें–
    (1) परमिट फीस – रूपया 1/–प्रतिटन।
    (2) रॉयल्टी – रूपये 160/– प्रतिटन।
    (3) प्रीमियम राशि – रूपये 100/– प्रतिटन।
    (4) डी.एम.एफ.टी. राशि – रॉयल्टी पर 10 प्रतिशत देय।
    (5) आर.एस.एम.ई.टी – रॉयल्टी पर 2 प्रतिशत देय।
    उक्त राशि समय–समय पर नियमों में होने वाले संशोधन के अनुरूप जमा करानी होगी।
11. अन्य शर्ते राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 52(3) के अनुसार
12. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 में समय–समय पर होने वाले संशोधन एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाएं/निर्देश मान्य होंगे।

भूमि सुधार हेतु खातेदारी भूमि में जिप्सम की परत हटाने के संबंध में जारी आदेश कमांक प.14(1)खान / ग्रुप–2/2011 पार्ट जयपुर दिनांक 07.06.2022 एवं निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर के आदेश कमांक निखाभू/बीका/सीसी–4/जिप्सम परमिट गाईड/2016–17/3040–98 दिनांक 08.06.2022 तथा जारी गाइडलाइन/दिशा–निर्देश संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

(भीम सिंह)
अधीक्षण खनि अभियंता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर